

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक:प.6(27)प्र.सु./अनु.3/2015

जयपुर, दिनांक: 24/10/2018

आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर **ब्लॉक निष्पादक समिति** का गठन निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है -

ब्लॉक निष्पादक समिति

क्रस	पदनाम	समूह पदनाम
1	उपखण्ड अधिकारी अथवा जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत उपखण्ड अधिकारी स्तर का आर.ए.एस. अधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान	सह-अध्यक्ष
3	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	सदस्य
4	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम)	सदस्य सचिव
5	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)	सदस्य
6	बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल सेवाएं (CDPO)	सदस्य
7	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (BCMHO)	सदस्य
8	सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम	सदस्य
9	सहायक अभियन्ता, स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग	सदस्य
10	सहायक अभियन्ता, पीडब्ल्यूडी	सदस्य
11	ब्लॉक प्रतिनिधि, सहकारिता विभाग	सदस्य
12	समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
13	अन्य समस्त संस्था प्रधान, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (PEEO के अतिरिक्त)	सदस्य

इस समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

- (i) यह समिति ब्लॉक में स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित समस्त योजनाओं (आईसीटी, शारदे बालिका छात्रावास, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, आईईडीएसएस, व्यावसायिक शिक्षा, मॉडल स्कूल, आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, एसआईक्यूयूई आदि), कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन की पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग करेगी।
- (ii) समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी।
- (iii) यह समिति योजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करेगी।
- (iv) अन्य उन सभी योजनाओं/गतिविधियों/कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी, जिनके लिए राज्य सरकार से समय-समय पर आदेश जारी किए जावेंगे।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होगा।

महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से,

www.rajteachers.com

(डॉ० प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

23/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले।
13. उप शासन सचिव (आयोजना), प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निदेशक, एससीआरटी, उदयपुर।
15. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक - प्रथम, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
16. निजी सहायक नियन्त्रक वित्त, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
17. समस्त उपायुक्त/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
19. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
20. प्राचार्य, डाइट, समस्त जिले।
21. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
22. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रथम एवं द्वितीय), समस्त जिले।
23. अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रथम एवं द्वितीय), समस्त जिले।
24. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
25. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त ब्लॉक।
26. अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम), समस्त ब्लॉक।
27. प्रधानाचार्य पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त पंचायत।
28. कार्यालय प्रति। संदर्भ सं. प4(15)शिक्षा-1/2008पार्ट.


24/10/18

(के.के.खण्डेलवाल)

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: प.6(27)प्र.सु./अनु.3/2015

जयपुर, दिनांक: 24/10/2018

आदेश

आदेश क्रमांक समसंख्यक दिनांक 15.04.2015 को अतिक्रमित करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तर पर **जिला निष्पादक समिति** का पुनर्गठन निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्रस	पदनाम	समूह पदनाम
1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य सचिव
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कार्यालय	सदस्य
4	उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS)	सदस्य
5	जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO)	सदस्य
6	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम	सदस्य
7	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	सदस्य
8	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD)	सदस्य
9	उपपंजीयक/ सहायक पंजीयक, जिला सहकारिता विभाग	
10	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक	सदस्य
11	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक	सदस्य
12	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य
13	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)	सदस्य
14	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी	सदस्य
15	सहायक परियोजना समन्वयक (प्रथम), समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य
16	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य
17	समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति	
18	जिला कलेक्टर द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
19	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अति० मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम (रोटेशन प्रणाली से कोई एक अधिकारी)	सदस्य
20	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय (रोटेशन प्रणाली से कोई एक अधिकारी)	सदस्य
21	पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (रोटेशन प्रणाली से दो जिसमें एक महिला हो)	सदस्य
22	कलेक्टर द्वारा नामित शिक्षक संघ के दो सदस्य (कम से कम एक महिला हो)	सदस्य
23	कलेक्टर द्वारा नामित स्वयंसेवी संस्था का एक सदस्य	सदस्य

इस समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे:-

- यह समिति जिले में स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित समस्त योजनाओं (आईसीटी, शारदे बालिका छात्रावास, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, आईईडीएसएस, व्यावसायिक शिक्षा, मॉडल स्कूल, आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, एसआईक्यूई आदि), कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन की पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग करेगी।
- समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाये
- यह समिति योजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करेगी।
- अन्य उन सभी योजनाओं/गतिविधियों/कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी, जिनके लिए राज्य सरकार से समय-समय पर आदेश जारी किए जावेंगे।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होगा।

www.rajteachers.com

महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ० प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

23/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले।
13. उप शासन सचिव (आयोजना), प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निदेशक, एससीआरटी, उदयपुर।
15. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक - प्रथम, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
16. निजी सहायक नियन्त्रक वित्त, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
17. समस्त उपायुक्त/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
19. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
20. प्राचार्य, डाइट, समस्त जिले।
21. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
22. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रथम एवं द्वितीय), समस्त जिले।
23. अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रथम एवं द्वितीय), समस्त जिले।
24. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
25. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त ब्लॉक।
26. अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम), समस्त ब्लॉक।
27. प्रधानाचार्य पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त पंचायत।
28. कार्यालय प्रति। संदर्भ सं. एफ 4(15)शिक्ष-1./2008/पार्ट.

(Handwritten Signature)
24/10/18

(कै.के.खण्डेलवाल)
सहायक शासन सचिव

नोट:- समिति के प्रशासनिक विभाग स्तर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 3(1)(15)प्रथम/ निर्वा/2018/7586 दिनांक 13.01. 2018 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला निष्पादक समिति में स्वयं सेवी संस्था के किसी व्यक्ति का जिला कलेक्टर द्वारा नामांकन विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात् किया जाना सुनिश्चित किया जावे।